पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 364/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 17.12.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 17.12.2024 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत कार्यवाहियां की गयी हैः-

01.थाना-अतरौलियाः-साइबर फ्राड के 10,000 रूपये वापस करायेस गये।

वापस कराये गये रूपयों का विवरणः-

दिनांक 08.12.2024 को वादी इन्द्रजीत पुत्र रामअचल निवासी कस्बा अतरौलिया थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ के खाते से 10,000/- रूपये पेमेंट करते समय दूसरे के खाते मे चला गया था। जिसकी शिकायत पर थाना स्थानीय पर साईबर शिकायत संख्या 33112240153780 पंजीकृत हुआ उक्त शिकायत पर विधिक कार्यवाही कराते हुये बैंक के माध्यम से साईबर हेल्पडेस्क कम्प्यूटर आपरेटर आशीष कुमार थाना अतरौलिया आजमगढ़ द्वारा आवेदक के खाते से कटे कुल 10,000/- रूपये वापस करा दिया गया।

थाना-गंभीरपुरः-चोरी की 02 घटनाओं का सफल अनावरण, चोरी के सामान, 12660 रुपये नगद व 02 अदद मो0फोन के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 16.12.2024 को वादी जितेन्द्र प्रसाद मौर्य पुत्र स्व0 चन्द्रबली ग्राम व पोस्ट अबूसईदपुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि ग्राम मुहम्मदपुर में पोस्ट आफिस के बगल में स्थित मौर्य जनसेवा केन्द्र व पुस्तक भण्डार से अज्ञात चोर द्वारा दिनांक 15.12.2024 की रात्रि मे ताला तोड़कर एंव सीसीटीवी कैमरा को क्षतिग्रस्त करते हुए नगद रु0 15000/-रूपये एंव आधार कार्ड, एटीएम, पैन कार्ड आदि चोरी किया गया। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.सं. 449/2024 धारा 331(4)/305/324(4)BNS बनाम अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत किया गया।

घटना का अनावरणः-

आज दिनांक 17.12.2024 को उ0नि0 ओमकारनाथ पाण्डेय व उ0नि0 सिन्धिलाल सोनकर मय हमराह द्वारा मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त अभय यादव पुत्र लालबहादुर यादव निवासी रसूलपुर माफी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को सदाफल तिराहे से चोरी के कुल 12660 रुपये नकद, 01 आधार कार्ड ,01 ड्राइविंग लाइसेंस, 01 एटीएम ,02 अदद फोन के साथ समय करीब 11.50 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

अपराध का तरीकाः-

अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि दिनांक 15.12.2024 को ग्राम मुहम्मदपुर में मौर्या जनसेवा केंद्र एव पुस्तक भण्डार से ताला तोडकर ये पैसे मेरे द्वारा चोरी किया गया था तथा मुहम्मदपुर पोस्ट ऑफिस में ताला तोड़कर चोरी का प्रयास किया था लेकिन लोगों के जग जाने के कारण डाकखाने में चोरी नहीं कर पाया था। अभियुक्त से और अधिक कडाई से पूछने पर बताया गया कि अक्टूबर माह में दिनांक 25.10.2024 की रात्रि को झिरूआ कमालपुर में एक घर का खिडकी की लोहे की जाली को तोडकर घर के अन्दर घुसकर जेवरात व नकदी चोरी किया था। अभियुक्त से ताला तोड़ने के विषय में पूछा गया तो बताया कि साहब ताला राड की सहायता से तोड़ता हूँ जिसको मैंने सदाफल तिराहे से वाराणसी जाने वाले हाईवे पर किनारे की तरफ झाडी में छिपाकर रखा है जिसे चलकर जहाँ अभियुक्त की निशानदेही पर लोहे के 2 राड निकालकर बरामद किया गया।

घटना का अनावरणः-

01. दिनांक 25.10.2024 को थाना गंभीरपुर आजमगढ़ पर पंजीकृत मु0अ0सं0 404/2024 धारा 331(4)/305 बी0एन0एस0।

02. दिनांक 16.12.2024 को थाना गंभीरपुर आजमगढ़ पर पंजीकृत मु.अ.सं. 449/2024 धारा 331(4)/305/324(4)बी0एन0एस0।

गिरफ्तार अभियुक्त का नामः-

01. अभय यादव पुत्र लालबहादुर यादव निवासी रसूलपुर माफी थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

01. मु0अ.सं. 449/2024 धारा 331(4)/305/324(4)BNS थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

02. मु0अ0सं0 404/2024 धारा 331(4)/305 BNS थाना गम्भीरपुर , आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोगः-

01.मु0अ.सं. 449/2024 धारा 331(4)/305/324(4)BNS थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी का विवरणः-

01. चोरी का 12660 रूपये नकद

02. 02अदद मोबाइल सैमसंग कीपैड

03. 01 ड्राइविंग लाइसेंस

04. 01 अदद आधार कार्ड

05. 02 एटीएम कार्ड

06. 01अदद परिचय पत्र

07. 02 अदद लोहे के राड।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीमः-

01.उ0नि0 ओमकार नाम पाण्डेय मय हमराह थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

02.उ0नि0 सिन्धीलाल सोनकर मय हमराह थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़।

03. थाना-कोतवालीः-अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

गिरफ्तारी/बरामदगी का विवरणः-

आज दिनांक 17.12.2024 को उ0नि0 देवेन्द्रनाथ दूबे मय हमराह थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा मुखबिर की सूचना एक व्यक्ति नौशाद पुत्र मु0 जाकिर निवासी धौरहरा थाना जीयनपुर आजमगढ़ उम्र 40 वर्ष को सड़क के पश्चिम तरफ बद्दोपुर नदी के किनारे पुल से कुछ पहले कटे कच्चे रास्ते से समय करीब 10.10 बजे एक अदद नाजायज तमंचा 12 बोर व एक अदद मिस कारतूस 12 बोर बरामद किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 667/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट बनाम अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहासः-

नौशाद पुत्र मु0 जाकिर निवासी धौरहरा थाना जीयनपुर आजमगढ़

1. मु0अ0सं0 284/03 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0 203/10 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0 204/10 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
4. मु0अ0सं0 213/15 धारा 3/5A/8 गो हत्या निवारण अधिनियम उत्तर प्रदेश व 11 पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधि0 1960 थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
5. मु0अ0सं0 340/18 323/364 भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
6. मु0अ0सं0 402/20 धारा 308/323/325/342/386/504/506 भादवि भादवि थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
7. मु0अ0सं0 186/21 धारा 3(1) उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द समाजविरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

04.थाना-अतरौलिया:- चोरी की 02 घटनाओं का सफल अनावरण, चोरी की एक अदद बैटरी EXIDE कंपनी के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व का संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 19.05.24 को वादिनी राधा भारती पत्नी सन्नी कुमार निवासी सेल्हरापट्टी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़(ग्राम प्रधान) द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि अज्ञात चोरों द्वारा ग्राम सेल्हरापट्टी में स्थित मिनी सचिवालय का ताला तोडकर एक इन्वर्टर व दो बडी बैटरी एक्साइड कम्पनी का चोरी कर लिया गया है। लिखित तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 183/24 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात चोर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया । तथा दिनांक 12.06.24 को वादी विजय शंकर पाण्डेय पुत्र स्व0 आद्या प्रसाद पाण्डेय निवासी भदेवा थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ के द्वारा थाने पर आकर लिखित तहरीर दिया गया कि भदेवाँ गांव में स्थित श्रीराम जानकी मन्दिर का ताला तोडकर दान-पेटी किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा उठा ले जाया गया है जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 212/24 धारा 457/380 भादवि बनाम अज्ञात चोर के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। विवेचना के क्रम में बरामदगी के आधार पर मु0अ0स0 183/24 मे धारा 411 भादवि की बढोत्तरी की गयी व अभियुक्त विश्वजीत निषाद पुत्र पांचू निषाद निवासी सेल्हरापट्टी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण:-

आज दिनांक 17.12.24 को उ0नि0 जफर अयूब मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त विश्वजीत निषाद पुत्र पांचू निषाद निवासी सेल्हरापट्टी थाना अतरौलिया जनपद आजमगढ़ उम्र 20 वर्ष को सेल्हरापट्टी हाइवे से कुछ दूर पहले ही समय करीब 01.45 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक बैटरी EXIDE कंपनी बरामद किया गया।गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) व एएचटी (मानव तस्करी रोधी/एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग) थाना आजमगढ़ द्वारा मासिक समीक्षा एवं समन्वयन गोष्ठी की गयी

आज दिनांक 17.12.2024 को समय 13.00 बजे जनपद आज़मगढ़ के पुलिस लाईन स्थित सभागार में श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक, यातायात/नोडल अधिकारी थाना ए.एच.टी./एस.जे.पी.यू. महोदय के पर्यवेक्षण में व श्रीमान् क्षेत्राधिकारी नगर महोदय जनपद आजमगढ़ की अध्यक्षता में विशेष किशोर पुलिस इकाई (SJPU) व एएचटी (मानव तस्करी रोधी/एन्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग) की मासिक समीक्षा एवं समन्वयन बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न अधिकारी तथा स्वंय सेवी, NGO के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए सहायक अभियोजन अधिकारी श्री संजय सिंह, उप मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ0 ए.के. चौधरी जिला चिकित्सालय आजमगढ़, बेसिक शिक्षा अधिकारी आजमगढ़ श्री राजीव पाठक, सीडब्लूसी अध्यक्ष श्री रजनीश श्रीवास्तव, श्रम प्रवर्तन अधिकारी श्री देवेन्द्र सिंह श्रम विभाग आजमगढ़, किशोर न्याय बोर्ड सदस्य श्री रवि प्रताप सिंह, चाइल्ड लाइन आजमगढ़ से संजय शाही, केन्द्र प्रबन्धक सरिता पाल वन स्टॉप सेन्टर आजमगढ़, श्री रामानन्द सरस्वती पुस्तकालय जोकहरा आजमगढ़ से हीना देसाई, आली संस्था से सोनी यादव आदि एन.जी.ओ., आर.पी.एफ. जी.आर.पी., DCRB, महिला सम्मान प्रकोष्ठ आजमगढ़ के प्रतिनिधि व थानों के बाल कल्याण अधिकारी/सहायक बाल कल्याण अधिकारी तथा थाना ए.एच.टी. के कर्मचारीगण । बैठक में अनुसंधान एवं थानों पर नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी/ विवेचक के समक्ष आ रही समस्याओं, पीड़िता के आवासन, बाल गुमशुदा, बालश्रम, नशामुक्त आभियान, बाल विवाह, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम, लैगिंक समानता, नारी शक्ति, किशोर न्याय अधिनियम 2015 में हुए नवीनतम संशोधन के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी, पोक्सो एक्ट के अभियोग पंजीकृत करने के 24 घण्टे के अन्दर CWC को सूचित करना, पोक्सो के मामले में फार्म ए व बी पुलिस द्वारा भरा जाना, बाल कल्याण अधिकारी के कर्त्तव्य और दिशा-निर्देश का पालन, जे0जे0एक्ट के अन्तर्गत सामाजिक पृष्ठभूमि, न्यायालय किशोर न्याय बोर्ड में पुलिस अधिकारी रिमाण्ड लेने हेतु व नाबालिग पिड़ित/पिड़िता का चिकित्सालय में मेडिकल कराने के लिये सादे वस्त्रों में आने के सम्बन्ध में जानकारी दी गयी, जे0जे0 एक्ट की धारा 24, पोक्सो तथा जुबेनाइल से सम्बन्धित अभियोगों में प्रेस विज्ञप्ति देते समय पीड़िता/बाल अपचारी की फोटो व व्यक्तिगत जानकारी को गोपनीय रखा जाये आदि के सम्बन्ध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई।

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप 02 आरोपी अभियुक्तों को मा0 न्यायालय द्वारा दहेज हत्या के आरोप में दोषी करार देते हुए 10-10 वर्ष के कठोर कारावास एवं 20-20 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना महराजगंजः- हत्या के 02 आरोपी अभियुक्त को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 20-20 हजार रूपये जुर्माना से किया गया दण्डित

➡ दिनांक- 12.02.2006 को वादी मुकदमा स्वामीनाथ पुत्र स्व0 चिमुगदी निवासी माल्हेपट्टी थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना महराजगंज पर लिखित तहरीर दिया गया कि दिनांक-12.02.2006 को विपक्षी 1- रामगोपाल पुत्र राधेश्याम 2-राधेश्याम पुत्र हरिहर निवासीगण शिवपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादी की पुत्री को दहेज के लिए प्रताडित करते हुए मार दिया गया व उसके शव को गायब भी गायब कर दिया गया।

➡ अभियुक्तों के विरूद्ध थाना महराजगंज पर मु0अ0सं0- 18/2006 धारा 498ए, 306,201 भादवि पंजीकृत किया गया।

➡ अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡ मुकदमा उपरोक्त में 26 गवाह परीक्षित हुए है।

➡जिसके क्रम में दिनांक- 17.12.2024 को मा0 न्यायालय ASJ-3 द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त 1- रामगोपाल पुत्र राधेश्याम 2-राधेश्याम पुत्र हरिहर निवासीगण शिवपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ को दोषसिद्ध पाते हुए प्रत्येक को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास व 20-20 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।